



2026:AHC:65789

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण ज़मानत आवेदन संख्या- 5517 वर्ष 2026

बलजिंदर सिंह @ हनी आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य प्रतिपक्षी

आवेदक के अधिवक्ता: मुकेश जोशी

प्रतिपक्षी के अधिवक्ता: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय सं - 69

माननीय न्यायमूर्ति श्री जितेंद्र कुमार सिन्हा

1. आवेदक के अधिवक्ता श्री मुकेश जोशी और राज्य-प्रतिपक्षियों के लिए अपर शासकीय अधिवक्ता श्री बी.पी. मौर्य को सुना।
2. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 483 के तहत प्रस्तुत ज़मानत आवेदन आवेदक की ओर से दायर किया गया है, जिसमें उसे केस अपराध संख्या-308 वर्ष 2025 में धारा 318(4), 338, 336(3), 340(2) बी.एन.एस. और धारा 60, 63, 72 आबकारी अधिनियम के तहत ज़मानत पर रिहा करने की प्रार्थना की गई है, जो सुनवाई के लंबित रहने के दौरान थाना दुद्धी, जिला सोनभद्र में दर्ज किया गया था।
3. आवेदक के अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया है कि आवेदक निर्दोष है और उसे इस मामले में गलत तरीके से फंसाया गया है। आगे यह प्रस्तुत किया जाता है कि आवेदक का नाम प्राथमिकी में नहीं है और जांच के दौरान उसका नाम सामने आया है और उसके कब्जे से कुछ भी बरामद नहीं हुआ है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि प्राथमिकी के अनुसार एक ट्रक से 5960 लीटर अंग्रेजी शराब बरामद की गई है और ट्रक के मालिक ने अपने बयान में कहा है कि उसने इसे सह-आरोपी संजय को बेच दिया था और सह-आरोपी संजय ने यह भी कहा है कि उसने आगे एक अन्य सह-आरोपी अजीत को बेच दिया था और आवेदक आरोपी अजीत के साथ सौदा करने के लिए गया था। यह

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



भी प्रस्तुत किया जाता है कि आवेदक, जो 18.12.2025 से जेल में बंद है, यह वचन देता है कि यदि वह स्वतंत्रता प्रदान किया गया है, तो वो दुरुपयोग नहीं करेगा। यह भी बताया गया है कि न्यायालय में मामलों के भारी लंबित होने के मद्देनजर, मुकदमे के शीघ्र निष्कर्ष निकलने की कोई संभावना नहीं है।

4. दूसरी ओर, अपर शासकीय अधिवक्ता ने आवेदक को ज़मानत देने की प्रार्थना का विरोध किया है।

5. आवेदक का नाम प्राथमिकी में नहीं है और सह-आरोपी संजय के इकबालिया बयान में जांच के दौरान उसका नाम सामने आया है। आवेदक 18.12.2025 से जेल में बंद है। प्राथमिकी में आरोप के अनुसार, एक ट्रक से 5960 लीटर अंग्रेजी शराब बरामद की गई बताई गई है और ट्रक के मालिक ने अपने बयान में कहा है कि उसने इसे सह-आरोपी संजय को बेच दिया था और सह-आरोपी संजय ने यह भी कहा है कि उसने आगे एक अन्य सह-आरोपी अजीत को बेच दिया था और आवेदक आरोपी अजीत के साथ सौदा करने के लिए गया था।

6. तथ्यों, प्रकृति और अभिलेखों से परिलक्षित साक्ष्यों की समग्रता पर विचार करने पर और मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, मुझे लगता है कि यह ज़मानत के लिए एक उपयुक्त मामला है। इसलिए, प्रस्तुत ज़मानत आवेदन की **अनुमति** दी जाती है।

7. उपरोक्त मामले के अपराध में शामिल आवेदक- बलजिंदर सिंह @ हनी को निम्नलिखित शर्तों के साथ संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के लिए समान राशि में दो-दो ज़मानतदार के साथ 50,000/- रुपये के व्यक्तिगत मुचलके प्रस्तुत करने पर ज़मानत पर रिहा किया जाए: -

(i) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा कि उसे अदालत या किसी पुलिस अधिकारी को ऐसे तथ्यों का खुलासा करने या सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने से रोका जा सके।

(ii) आवेदक अभियोजन पक्ष के गवाहों पर दबाव नहीं डालेगा/डराएगा नहीं।



(iii) आवेदक (i) मामले को खोलने, (ii) आरोप तय करने और (iii) बी.एन.एस.एस. की धारा 351 के तहत बयान दर्ज करने के लिए निर्धारित तिथियों पर विचारण न्यायालय के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेगा।

(iv) आवेदक इस आशय का एक वचन पत्र दायर करेगा कि जब गवाह विचारण न्यायालय में उपस्थित हों तो वह साक्ष्य के लिए निर्धारित तिथियों पर किसी स्थगन की मांग नहीं करेगा।

(v) आवेदक व्यक्तिगत रूप से या अपने अधिवक्ता के माध्यम से निर्धारित प्रत्येक तारीख पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा।

8. उपरोक्त शर्तों में से किसी के उल्लंघन के मामले में, यह ज़मानत रद्द करने का आधार होगा।

9. यह स्पष्ट किया जाता है कि इस आदेश में कही गई कोई भी बात इस ज़मानत आवेदन के निर्धारण के उद्देश्य तक सीमित है और इसे किसी भी तरह से मामले के गुण-दोष पर अभिव्यक्ति के रूप में नहीं माना जाएगा। विचारण न्यायालय इस आदेश में कही गई किसी भी बात से अप्रभावित साक्ष्य के आधार पर अपने स्वतंत्र निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र होगा।

मार्च 30, 2026

अभिषेक

(न्यायमूर्ति जितेंद्र कुमार सिन्हा)